POLITICAL SCIENCE Dep
B.A-2 (Sub.)

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor,
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

न्यायपालिका के कार्य

(1) कानूनों की व्याख्या करना :-

न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। नियमों एवं कानूनों की व्याख्या करना इसका प्रमुख कार्य है। वह विवादित कानूनों का अर्थ स्पष्ट करती है।

(2) नागरिक अधिकारों की रक्षा :-

न्यायपालिका का एक प्रमुख कार्य नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। देश का कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायपालिका के समक्ष जा सकता है। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम ले सकती है उठाती है। न्यायपालिका इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि सरकार का कोई अंग इन अधिकारों का अतिक्रमण न करे।

(3) अभियोगों के निर्णय :-

विधि के उल्लंघन से उत्पन्न मुकदमों का निर्णय न्यायपालिका करती है। नागरिकों के आपसी झगड़े तथा शासन

Scanned with CamScanner

एवं नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा होता है।

(4) संविधान की रक्षा :-

न्यायपालिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह संविधान की रक्षा करे एवं संविधान की आत्मा को बनाए रखे। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून पारित कर दे जो संविधान के नियमों के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

(5) परामर्श देना :-

न्यायपालिका राष्ट्राध्यक्ष को परामर्श देने का कार्य भी करती है। भारत में राष्ट्रपति गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं।

(6) प्रशासनिक कार्य :-

न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। न्यायालय की कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। उन्हें आंतरिक प्रशासन सम्बंधी छोटे-छोटे नियमों को लागू करने का अधिकार है।

Husna Ara

Scanned with CamScanner